

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2298 /2019 दिनांक :13 .11.2019

श्री अशोक कुमार शर्मा-III (RJ0331), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरवाड़ा (उदयपुर) को दिनांक 28.11.2019 से 30.11.2019 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 01.12.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शर्मा-III की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, उदयपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरवाड़ा (उदयपुर) के पद पर ही होने की संभावना है ।

आज्ञा से

 11.11.19

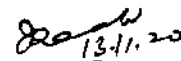
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/35/2000/10641

दिनांक :13 .11.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, उदयपुर को उनके पत्रांक 13462 दिनांक 31.10.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अशोक कुमार शर्मा-III (RJ0331), अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरवाड़ा (उदयपुर) ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, खैरवाड़ा (उदयपुर) ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम-05, उदयपुर ।

 13.11.2019
सहायक रजिस्ट्रार